10-06/2007-बीएस.I

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 - अशोक रोड,

नई दिल्ली-110001.

दिनांक : - 13.04.2007.

विषय: - अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस करार में संशोधन ।

लाइसेंस प्रदाता को भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 4 के खंड 12 के तहत प्रदान किए गए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस प्रदाता आईएलडी लाइसेंस करार की अनुसूची के खंड 2.2 (ग) के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित करते हुए लाइसेंस करार को एतद्द्वारा निम्नानुसार आशोधित करता है;

(घ) उन आई एल डी लाइसेंस धारक जो केवल लेयर 2 और 3 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, पर आई एल डी लाइसेंस धारकों पर लागू होने वाली सुरक्षा निगरानी) शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित सुरक्षा निगरानी शर्तें लागू होंगी बशर्ते यह लाइसेंस धारक अन्य अभिगम लाइसेंस धारकों/राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) लाइसेंस धारकों/आई एल डी धारकों/ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के अंतरराष्ट्रीय गेटवे से कनेक्टिविटी/ बैंड विड्थ प्राप्त करता है:

सुरक्षा निगरानी को सुचारू बनाने हेतु नामोद्दिष्ट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपेक्षित आवश्यक व्यवस्थाएं तथा इसका रख रखाव लाइसेंस धारक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । निगरानी उपस्कर की लागत लाइसेंस धारक द्वारा वहन की जाएगी । विद्यमान लाइसेंस धारकों जिनसें बैंड विड्थ/ साझेदारी कनेक्टिविटी ली गई है, के साथ निगरानी क्षमताओं की साझेदारी की अनुमति पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रदान की जाएगी । वर्तमान लेयर 2 और लेयर 3 वीपीएन लाइसेंस धारक जो एन एलडी/ आईएलडी लाइसेंस प्राप्त करते हैं के संबंध में परियात के निरीक्षण और निगरानी आईएलडी प्रचालक जिससे लेयर-1 सेवा अथवा अंतरराष्ट्रीय निजी लाइन सर्किट पट्टे पर लिया हो के गेटवे पर करने की प्रचालनरत प्रक्रिया जारी रहेगी । लेयर-2 और लेयर-3 वीपीएन सेवाओं के वर्तमान और भावी लाइसेंस धारक लाइसेंस के सभी नियमों और शर्तो के संबंध में एक समान समझे जाएंगे ।

2. यह संशोधन तत्काल प्रभावी होंगे ।

(एस0 टी0 अब्बास)
निदेशक (सी0एस0 II)

प्रतिः-

1. सभी एनएलडी/आईएलडी साइसेंसधारक।
2. सचिव टीआरएआई।
3. वरि0 उपमहानिदेशक (एलएफ)।
4. उपमहानिदेशक (डीएस)।

120

10-06/2007-बीएस.I
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 - अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.

दिनांक : - 13.04.2007.

विषय: - अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस करार में संशोधन ।

लाइसेंस प्रदाता को भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 4 के खंड 12 के तहत प्रदान किए गए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस प्रदाता आईएलडी लाइसेंस करार की अनुसूची-I के खंड 2.2 (घ) के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित करते हुए लाइसेंस करार को एतद्द्वारा निम्नानुसार आशोधित करता है;

(घ) उन आई एल डी लाइसेंस धारक जो केवल लेयर 2 और 3 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, पर आई एल डी लाइसेंस धारकों पर लागू होने वाली सुरक्षा निगरानी) शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित सुरक्षा निगरानी शर्तें लागू होंगी बशर्ते यह लाइसेंस धारक अन्य अभिगम लाइसेंस धारकों/राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) लाइसेंस धारकों/आई एल डी धारकों/ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के अंतरराष्ट्रीय गेटवे से कनेक्टिविटी/ बैंड विड्थ प्राप्त करता है:

सुरक्षा निगरानी को सुचारू बनाने हेतु नामोदिष्ट सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपेक्षित आवश्यक व्यवस्थाएं तथा इसका रख रखाव लाइसेंस धारक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । निगरानी उपस्कर की लागत लाइसेंस धारक द्वारा वहन की जाएगी । विद्यमान लाइसेंस धारकों जिनसे बैंड विड्थ/ साझेदारी कनेक्टिविटी ली गई है, के साथ निगरानी क्षमताओं की साझेदारी की अनुमति पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रदान की जाएगी । वर्तमान लेयर 2 और लेयर 3 वीपीएन लाइसेंस धारक जो एन एलडी/ आईएलडी लाइसेंस प्राप्त करते हैं के संबंध में परियात के निरीक्षण और निगरानी आईएलडी प्रचालक जिससे लेयर-1 सेवा अथवा अंतरराष्ट्रीय निजी लाइन सर्किट पट्टे पर लिया हो के गेटवे पर करने की प्रचालनरत प्रक्रिया जारी रहेगी । लेयर-2 और लेयर-3 वीपीएन सेवाओं के वर्तमान और भावी लाइसेंस धारक लाइसेंस के सभी नियमों और शर्तों के संबंध में एक समान समझे जाएंगे ।

2. यह संशोधन तत्काल प्रभावी होंगे ।

(एस0 टी0 अब्बास)
निदेशक (सी0एस0 II)

प्रतिः-

1. सभी एनएलडी/आईएलडी साइसेंसधारक।
2. सचिव टीआरएआई।
3. वरि0 उपमहानिदेशक (एलएफ)।
4. उपमहानिदेशक (डीएस)।

127

अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं के लिए लाइसेंस करार में किए गए 15.01.2007 से प्रभावी संशोधन

खंड सं0	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
2.2(ग)	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंड विड्थ प्रदाताओं के स्वामित्व वाले अंतरराष्ट्रीय बैंड विड्थ के लिए, पारस्परिकरूप से सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर आई एल डी सेवा के लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि अथवा आईएलडी सेवा के पहले लाइसेंस के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष जो भी पहले हो, संकीर्ण दुर्गम मार्ग (बॉटलनेक) संबंधी समान सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी ।	लाइसेंस धारक प्रचालकों के लिए समुद्र के भीतर केबल लैंडिंग की सुविधाओं सहित केबल लैंडिंग स्टेशन पर संकीर्ण दुर्गम मार्ग संबंधी सुविधाओं पर समानरूप से भेदभाव रहित अनिवार्य अभिगम । ऐसे अभिगम के प्रावधान के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के लाइसेंस धारी स्वामी द्वारा टीआरएआई की पूर्वानुमति से नियम और शर्तें प्रकाशित की जानी चाहिए । इस तरह के अभिगम संबंधी प्रावधानों के लिए प्रभार टीआरएआई/दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्मित विनियमों आदेशों द्वारा शासी होंगे ।
17.5	मानक अंत: संपर्कों, अंतर्संयोजन बिंदुओं सहित अंतर्संयोजन और तकनीकी पहलुओं के नियम और शर्तें सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर सहमति के अनुसार होंगे ।	मानक अंत: संपर्कों, अंर्सयोजन बिंदुओं सहित अंतर्संयोजन और तकनीकी पहलुओं के नियम और शर्तें टीआरएआई द्वारा टीआरएआई अधिनियम, 1997 के तहत समय-समय पर यथा जारी किए जाने वाले आदेशों, निर्देशों और विनियमों के ढ़ाँचे के भीतर सेवा-प्रदाताओं के बीच परस्पर सहमति के अनुसार होंगे ।
17.10	अंतर्संयोजन की मांग करने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतर्संयोजन नेटवर्क के उन्नयन/आशोधन की लागत सहित नेटवर्क के संसाधन प्रदान किए जाएंगे । तथापि, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन नेटवर्क के उन्नयन/ आशोधन की लागत के लिए परस्पर मोल-भाव की व्यवस्थाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी ।	अंतर्संयोजन की मांग करने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतर्संयोजन नेटवर्क के उन्नयन/आशोधन की लागत सहित नेटवर्क संसाधन प्रदान किए जाएंगे । तथापि, टीआरएआई/ दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों, निर्देशों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन नेटवर्क के उन्नयन/ आशोधन की लागत के संबंध में परस्पर मोल-भाव की व्यवस्थाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी ।